

- **सामरिक कारण:** भारत अपनी हथियार प्रणालियों का 60% विदेशी बाजारों से खरीदता है, जिससे इसकी रणनीतिक सुभेद्यता बढ़ जाती है। भारतीय सीमाओं के आसपास की भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, बाहरी निर्भरता और किसी एक देश पर अतिरिक्त निर्भरता चिंताजनक है।
- **घरेलू क्षमता का दोहन:** मानव संसाधन के मामले में कौशल-प्रवीणताओं के एक बड़े प्रतिभाशाली पूल तथा बड़े पैमाने पर सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं के कारण रक्षा क्षेत्र में उच्च विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और आयात के बोझ को कम करने की क्षमता विद्यमान है।
- **राष्ट्रीय दृष्टि:** स्वदेशीकरण 'मेक इन इंडिया' के उद्देश्यों को मध्यवर्ती अवधि में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यह सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत पहल' के अनुरूप है।
- **रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार:** यह बहस का मुद्दा है कि क्या भारत, अन्य देशों में सैन्य औद्योगिक परिसरों में बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के उच्च स्तर के संरक्षण के कारण हथियारों के उत्पादन में अत्याधुनिक तकनीक को आसानी से प्राप्त कर पाएगा या नहीं।

रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में चुनौतियां:

- **एक व्यापक नीतिगत ढांचे का अभाव:** आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मुख्य चुनौती एक व्यावहारिक विस्तृत नीति का अभाव है। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) द्वारा वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना कई वैचारिक और प्रक्रियात्मक अपर्याप्तताओं से ग्रस्त है।
- **आत्मनिर्भरता की निगरानी के लिए एक तंत्र का अभाव:** इस दिशा में प्रगति की समीक्षा को समर्थ करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। खरीद डेटा कई खरीद उप-शीर्षकों के तहत दिया जाता है और प्रत्येक उप-शीर्षक स्वदेशी योगदान के सटीक स्तर के संदर्भ में अधूरा है।
- **गुणात्मक आवश्यकताओं (QR) पर आवश्यकता के अनुरूप बल न देना:** अन्य देशों में QR एक एकीकृत, पेशेवर एजेंसी द्वारा तैयार किए जाते हैं। जबकि भारत में यह कार्य व्यक्तिगत सेवा मुख्यालयों (Individual Service Headquarters) द्वारा किया जाता है जिसके अधिकारियों के पास अक्सर आवश्यक प्रशिक्षण या विशेषज्ञता का अभाव होता है।
- **निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी:** भारत के सैन्य औद्योगिक परिसर (MIC) के विकास में अब तक निजी क्षेत्र की भागीदारी अत्यधिक कम रही है। MIC प्रसार तभी होगा जब सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक और बड़े हुए निवेश इसके पूरक होंगे।
- **उप-क्षेत्रों का विभाजन:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और उत्पादन सभी को भारतीय संदर्भ में वर्गीकृत किया गया है, जहां प्रसारित होने वाली और पारस्परिक व्यवस्था सह-अस्तित्व में नहीं है। रामा राव समिति (2008) ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाओं के संदर्भ में अनुसंधान एवं विकास एजेंसी, उद्योग और उपयोगकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी की ओर संकेत किया है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी है। साथ ही भारत सरकार द्वारा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 शुरू की गई है, रक्षा उत्पादन विभाग में एक निर्यात संवर्धन सेल का गठन किया गया एवं सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त, रामा राव समिति द्वारा अनुशंसित उन्नत रक्षा विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (BRADS) के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने, रक्षा खरीद में आत्मनिर्भरता के स्तर का अनुमान लगाने के लिए डेटा बैंक के रूप में रक्षा सेवाओं का आकलन करने आदि जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है।

20. Data privacy laws require a balancing act between personal liberty and sovereign security. Discuss in the context of India. (250 words) 15

डेटा निजता कानूनों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संप्रभु सुरक्षा के बीच एक संतुलनकारी भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

दृष्टिकोण:

- परिचय में निजता के अधिकार का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए डेटा निजता कानूनों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- इस संदर्भ में संप्रभु सुरक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए।
- तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता एवं अन्य मूल अधिकारों के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। हालांकि, यह ध्यातव्य है कि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसे राज्य की वैध चिंताओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। निजता के सीमांकन के स्तर को आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, निम्नलिखित कारणों से भारत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले एक डेटा निजता कानून की आवश्यकता है: